

2-11-20

शुभ वार उपरा

शुभ वार का

वस्तु हनी गई।

शुभ वार का

आवश्यक (किसी)

शुभ वार का

कारण है।

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

प्राप्त (समय) के

शुभ वार का

मालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा- श्री गुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रवेश तिथि

11.03.2020

निर्णय तिथि

02.11.2020

उनवान  
राजपाल सिंह पुत्र हरिपाल सिंह जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला  
अलवर राज0

बनाम

:- वादी

1. राजस्थान सरकार जय श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि धारी) पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:- प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज व राज्य सरकार के परिपत्र 06.10.09 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012

उपस्थिति:-

1. श्री संजय यादव वकील प्रार्थीगण की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार

:- निर्णय:-

पत्रावली पेश हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास के हाल आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा का था , जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा किस्म भूड अव्वल ढहरी का काबिज सदोरासिह पुत्र कोडासिह कोम लबानासिख बोलनी था मौजदा वाद साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 963 मे से 1 बीघा 03 बिस्वा रकबा के बाबत प्रस्तुत किया है वाद के जेरकार रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। बाद स्वीकार उक्त प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का हाल खसरा नम्बर बाद सेग्रीकेशन 1276/963 रकबा 1.70 हे0 बना ,जो आराजी वाद विवादित आराजी कहलायेगी।

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 940 रकबा 3 बीघा बिस्वा भूड अव्वल ढहरी रकबा था जिसका अंकन साबिक जमाबन्दी सम्वत 2003 मे दर्ज है जिस पर तत्कालीन अलौटी सदोरासिह पुत्र कोडासिह कोम लबानासिख निवासी बोलनी सम्वत 2011 मे बतौर पुरुषार्थी हिस्सानुसार काबिज काश्त था तत्पश्चात साबिक जमाबन्दी सम्वत 2015 , 2019 मे दीगर हिस्सेदारान के साथ अंकन हो रहा है।व खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2023 मे भी दर्ज किया हुआ है। एवं बतौर सदोरासिह का नाम दर्ज हो रहा है।

अर्थात भारत मे विस्थापित होने पर उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 940 रकबा 3 बीघा मे से 1 बीघा 03 रकबा पर बदस्तूर सदोरासिह ज़ोत बंहा काश्त करता रहा है किन्तु वक्त सैटिलमेन्ट

कायत करते वक्त साबिक खसरा नम्बर 940 को शामिल करते हुए खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड के भूड अत्तल ढहरी को बजंड कदीम किरम अंकित करते हुए नम्बर 963 रकबा 2.34 हे0 कायम कर दिया गया। चूकी कोडासिह अनपढ वो जमीदार व्यक्ति था जिसकी अज्ञानतावश ऐसा हुआ है नकल जमाबन्दीयात सम्बत 2003, 2015, खसरा गिरदावरी सम्बत 2017 लगायत 2023 सलमन वाद पत्र है। विचादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से रकबा 1 बीघा 03 रकबा पर सदोरासिह काबिज होकर काशत करता था जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने कब्जे की आराजी रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन था बेचान का मिन वादी से तय करते समय अपनी पारिवारिक जरूरतो हेतु मुबलिग 250,000 रु. मे वादी बेचान कर विधिवत इकरारनामा बैय दिनांक 25.04.2011 को स्टाप्प खरीद कर उसे विधिवत तहरीर कराते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी पर वादी को सौप दिया था बेरोज खरीद से वादी ही सालिम रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा पर काबिज है मौके पर आज भी वादी ही काबिज काशत है फसल बोता वो दरो करता आ रहा है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित. प्रति इकरारकनामा दिनांक 25.04.2011 सलमन वाद पत्र किया जा रहा है।

अलौटी कोडासिह पुत्र मिठठासिह कौम लबानासिख मुतनाजा आराजी पर 60-65 वर्षो अर्थात सम्बत 2011 से निरन्तर काशत करता रहा, जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने हकूक आराजी का बेचान दिनांक 25.04.2011 को वादी को करते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा सोप दिया, उसके बाद वादी आराजी पर निरन्तर बैतोर खरीददार काबिज काशत चला आ रहा है बाद बेचान अलौटी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध वो सरोकार अथवा कब्जा काशत नहीं रहा है बल्की वादी मौके पर काबिज है और वादी को अलौटी सदोरासिह की भांती आराजी पर कानूनी हक हकूक प्राप्त हो चुके है ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है। अतःप्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे:-

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 1 बीघा 03 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का जरिये इकरारनामा बैय दिनांक 25.04.2011 के काबिज काशतकार खरीददार मौका पर काबिज वो दखिल है जो काबिज काशत रकबा है ऐसी सूरत मे वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्ध कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा करा कर सनद खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस प्रकार की घोषणा वादी कराने के अधिकारी है।
2. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीयात मे जो मुतनाजा पर बंजड सिवायचक का अंकन दर्ज रिकार्ड हो रहा है जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका वो रिकार्ड एवं हकूक वादी के विरुद्ध नल एण्ड, वाईड है काबिल दुरुस्ती है जिसे रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा की जद तक हजफ कराया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
3. खर्चा मुकदमा का वादी को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे, अता फरमायी जावे।

6/

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 3 बीघा के काश्तकार सदोरासिह पुरुषार्थी निवासी बोलनी दर्ज साबिक रिकार्ड है हाल आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे0 सिवायचक सरकारी भूमि है। साबिक जमाबन्दीयात वो खसरा गिरदावरी मे सदोरासिह पुरुषार्थी के नाम का अंकन दर्ज है सदोरासिह के कब्जे काश्त का रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा को वादी खरीद करना अकित करता है वादी ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.9.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण मे आधार पर कीमत भूमि जमा राजकोष कराकर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद किया है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है। हाल खसरा नम्बर 963/2.34 हे. किस्म सिवायचक बंजड कदीम सिवायचक दर्ज खाता सरकार है जिससे राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है ।

जबाब प्रतिवादी (पैरोकार सरकार ) पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 3 बीघा का विक्रेता सदोरासिह पुत्र कोडासिह कब्जेकाश्त की आराजी है ।

जिम्मे वादी

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा कब्जे काश्त की आराजी है।

जिम्मे वादी

3. आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 940 मी. रकबा 3 बीघा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बंजड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरुस्ती कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

4. आया वादी आराजी उक्त. पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है दावा वादी काबिले खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. अनुतोष

बाद कायमी तनकीयात वकील वादी द्वारा साक्ष्य मे शपथ पत्र राजपाल पी.डब्ल्यू 1 , पवन कुमार पी.डब्ल्यू 2, पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमबद्ध कराये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत 2003 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श 3, विधिक नोटिस प्रदर्श 4, इकरारनामा दिनांक 25.4.2011 प्रदर्श 5 पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये।

45/

वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद चूकी किये जाने की इशतदुआ की। तनकीवार विवरण निम्न प्रकार से है:-  
 आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 3 बीघा का कब्जे का सदोरासिह पुत्र कोडासिह कब्जे काशत की आराजी है। इस तनकी का भार वादी पर है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का साबिक खसरा नम्बर 933मी रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 934 मी. रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, 939/1 रकबा 0-09 बिस्वा, 939/2 रकबा 0-11 बिस्वा, 940 मी. 1-03 बिस्वा, 941मी. रकबा 1-08 बिस्वा, 942मी. रकबा 0-15 बिस्वा, 943 मी. रकबा 0-17 बिस्वा, 944 रकबा 0-13 बिस्वा, 950मी. रकबा 2-06 बिस्वा, 953मी. रकबा 2-00, 954मी. रकबा 2-11 बिस्वा, 957 रकबा 1-16 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी पैमूद हुए है। तथा सेग्रीकेशन विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास कायम हुआ। प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 के साबिक खसरा नम्बर 940 रकबा 3 बीघा में कुशाला चौथाई छुटना चौथाई सलेम छुटना चौथाई हिस्सेदार राहिनान उम्मेद वल्द जगरूप घोसी बोदन पि० भूरा समभाग मेव सा. तितरका मुरतहिनान बकाशत कुन्दनसिह पुत्र मेहरसिह कुडीयासिह पुत्र दयालसिह सदोरासिह पुत्र कोडासिह समभाग पुरुषार्थीयान सा. देह अलौटी बकाशत घोसी वल्द भूरा उम्मेद वल्द जगरूप समभाग मेव तितरका उप कृषक 5 साल दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा प्रस्तुत छाया प्रति गिरदवारी सम्वत 2016-19 में सदोरासिह द्वारा ही खरीफ, रबी की फसल का अंकन है। जिससे यह बाखुबी साबित होता है कि आराजी विवादित सदोरासिह की कब्जे काशत की आराजी थी। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 940 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा कब्जे काशत की आराजी है। इस तनकी का भार वाद पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 में वर्णित किया गया है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 940 मिन सदोरासिह वेगरा की कब्जे काशत की आराजी थी। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज कर दिया है चूकी आराजी विवादित हाल 963 रकबा 2.34 हे. के साबिक खसरा नम्बर 940 मिन में से 1 -03 बिस्वा वादी द्वारा जर्ज इकरारनामा दिनांक 24.04.2011 जो प्रदर्श 5 है के द्वारा खरीद की गई। तथा बाद सेग्रीकेशन विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० कायम हुए। वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा है तथा वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा काशत है जो तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/20/243 दिनांक 08.10.2020 के साथ सलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का 29.09.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. वाके ग्राम बोलनी जमाबन्दी सम्वत 2074-77 खाता सख्या 1 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० किस्म बजड (सिवायचक) में से 1 बीघा 03 बिस्वा यानी 0.29 हे. रकबजे पर राजपालसिह पुत्र हरिपाल जाति जाट निवासी बासडा रोड किशनगढबास का कब्जा

81

वर्तमान में जोत लगाई हुई है जिसकी रिपोर्ट धारा 91 के तहत कर दी गई है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2011 साबिक खसरा नम्बर 940 रकबा 3 बीघा किस्म भूड अव्वल 2 बीघा 19 बिस्वा , गैर मु0 नदी 1 बिस्वा कुन्दन पुत्र मेहरसिंह , कुडियासिंह पुत्र सिंह, सदोरासिंह पुत्र कोडासिंह सम्भाग पुरुषार्थी सा. देह अलौटी दर्ज रिकार्ड है जिससे बाखूबी साबित होता है विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है आज भी वादी का ही कब्जा है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 940 मी. रकबा 3 बीघा को हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 में शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी ने छाया प्रति मिलान क्षेत्रफल सलग्न वाद किया हुआ है जिससे साबित है कि साबिक खसरा नम्बर 940 मी रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 में शामिल किया गया है तथा बाद सेग्रीकेशन 963 का विवादित खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. बना है तथा नकल जमाबन्दी भू प्रबन्ध सम्वत 2029 के अवलोकन से साबित है कि अलौटशुद्धा भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. तथा बाद सेग्रीकेशन खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. दर्ज करते हुए सिवायचक बजंड दर्ज किया है जबकी भू प्रबन्ध को पूर्व रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराया जाना चाहिये था। अतः यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 से यह बाखूबी साबित हो चुका है आराजी विवादित सदोरासिंह की कब्जे काश्त की आराजी है जो साबिक रिकार्ड प्रदर्श 3 से बाखूबी सिद्ध होता है तथा छाया प्रति सलग्न गिरदावरी से भी विक्रेता द्वारा फसल काश्त किया जाना सिद्ध होता है सदोरासिंह द्वारा आराजी विवादित में से 1-03 बिस्वा जयें इकरारनामा दिनांक 25.04.2011 के द्वारा कय किया गया है जो प्रदर्श 5 से बाखूबी सिद्ध होता है तथा वर्तमान में तहसीलदार एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इसलिए वादी का विवादित आराजी पर कब्जा बाखूबी सिद्ध होता है राज. सरकार के परिपत्र क्र. प. 1 (15)राज-पुनर्वास/2009 दिनांक 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 5 में उल्लेख किया हुआ है कि " ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि कय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो , उन्हें सक्षम न्यायालय से स्वामित्व / कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात बिन्दु सख्या 3 के अनुसार नियमभितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे। " साबिक जमाबन्दीयात से साबित है कि यह निष्क्रान्त आवंटित शुद्धा भूमि थी जो सम्वत 2029 से पूर्व आवंटी के नाम दर्ज थी।

सन्वत् 2029 मे भू- प्रबन्ध विभाग द्वारा बिला आवंटन निरस्त के ही सिवायचक बजंड कर दी गई जो विधिक भूल रही है चुकी दिनांक 25.4.2011 से आज तक निरन्तर वादी के कब्जे काश्त की ताईद होती है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तयकी जाती है वादी उक्त परिपत्र के अनुसार राशि जमा राज कोष जमा कराया जाकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. आयां प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है दावा वादी काबिले खारिज है। इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है तनकी की समर्थन मे प्रतिवादी द्वारा विरुद्ध वादी ऐसा कोई दस्तावेज पेश, नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है साबिक राजस्व रिकार्ड मे विक्रेता एवं मौके पर कब्जा बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा है जिससे यह नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता कि विवादित आराजी पर वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं हो। तथा प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे साबित हो सके की कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया हो, जब आवंटन ही निरस्त नहीं किया गया तो आवंटी के हकूक कानून द्वारा रक्षित है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोडासिह को बेचान का कोई अधिकार नहीं हो तथा विक्रेता का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं हो। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबे को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया गया है जो काबिले दुरुस्ती है तथा यह तथ्य प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब मे स्वीकार किया है कि प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकार मे है। इसलिए तय तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

6. अनुतोष :- विवादित आराजी निष्कान्त कृषि भूमि है जो साबिक रिकार्ड मे सदोरासिह वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि को अवैध हस्तानान्तरण वादी, के पक्ष मे होना साबित होता है। मौके पर वाद के कब्जे काश्त की ताईद होती है। वर्तमान मे वादी काबिज है। तथा राज्य सरकार के परिपत्र के दिनांक 30.3.2012 के अनुसार वादी से भूमि की कीमत कर्जा मय ब्याज, नियमितकरण शुल्क व शास्ती परिपत्र के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार जमाकोष कराया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।


उक्त तनकीयात बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जा चुकी है तथा विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 940 मी विक्रेता सदोरासिह वैगरा द्वारा 1-08 बिस्वा वादी द्वारा जर्चे इकरारनामा दिनांक 25.4.2011 द्वारा खरीद किया तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं पटवारी हल्का के अनुसार मौके पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे० मे से 1 बीधा 03 बिस्वा पर वादी का कब्जा है तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी तथ्यो एवं आदेश तथा खिलाफ मौका सिवायचक दर्ज किया है जो खिलाफ वादी

5/

कूको के दर्ज किया है चूकी विवादित आराजी पर वादी का वर्तमान में कब्जा काश्त है  
वादी का कब्जा बाखूबी सिद्ध होता है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के  
अनुसार नियमितकरण शुल्क, शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किया जाना  
उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं। न्याय एवं विधि का सिद्धान्त भी यही है अतः वाद वादी  
काबिल डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है:-

वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी  
साबिक खसरा नम्बर 940 मी रकबा 1 बीघा 03' बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर  
1276/963 रकबा 1.70 हे० हे. में से 1-03 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास  
को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी द्वारा 1250 रु. प्रति बीघा कीमत  
भूमि मय ब्याज व नियमितकरण शुल्क 4000 रु. प्रतिबीघा तथा 2000रु. प्रति बीघा की दर  
से शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं  
पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद  
तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

  
मुकुट सिंह चौधरी  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)